

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजना का नाम :- विद्युत लाईन विस्तार एवं पहुँच मार्ग
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- जे.एस.डब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- 3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग :- पहुँचमार्ग का चौड़ीकरण एवं 33 के.व्ही. विद्युत लाईन कनेक्शन (भूमिगत) हेतु
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :- आर.एफ. 634, आर.एफ. 640
- 5 वन भूमि का विस्तृत विवरण
आरक्षित /संरक्षित वन/ ओ.ए.
:-

कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हे.में)
634	0.534
640	0.862
योग :-	1.396
- 6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार :- स्थल गुण श्रेणी – IV(a)
घनत्व – 0.5 से 0.6 तक
- 7 आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों का विवरण :-

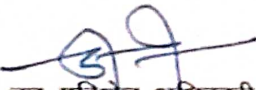
प्रजाति	वृक्ष संख्या
सागौन	104
साजा	11
शीशम	2
मुण्डी	3
अन्य	283
योग :-	403
- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पृनरोत्पादन की स्थिति :- नगण्य
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग में (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें) :- 02 कि.मी.
- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय, अभ्यारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेण्ट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) के सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? :- नहीं है।
- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आस पास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे) :- हाँ।

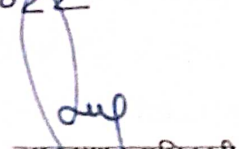
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन :- नहीं
किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण
देवें ।

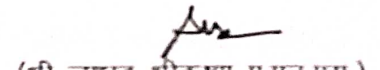
प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है ।
आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुरासा की जाती है / नहीं की
जाती है ।

निरीक्षण स्थल :- हाहालडदी
दिनांक :- 20/07/2022


वन परिक्षेत्र अधिकारी
दुर्गौदल


उपवृक्षमण्डलाधिकारी
मानुप्रतापपुर


(श्री जाधव श्रीकृष्ण ए.एन.एस.)
वनमण्डलाधिकारी
पूर्व मानुप्रतापपुर वनमण्डल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

E-mail: dfocast_bpur@rediffmail.com 07850-252223 Fax- 07850-252223

स्थल निरीक्षण प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुर्गूकोन्दल परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम - हाहालददी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 में से रकबा 1.396 हे. में खनिज लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र तक पहुँचमार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 20/07/2022 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं हैं तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा पहुँचमार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु आरक्षित वनभूमि 1.396 हे. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के प्रस्तावित स्थल में कुल 403 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.5 से 0.6 तक तथा स्थल गुणी श्रेणी IV(a) के हैं एवं प्रस्तावित स्थल पथरीली है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

उ.ब.कांकेर जिले के तहसील दुर्गूकोन्दल, ग्राम - हाहालददी में खनिज लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र तक पहुँचमार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिए वनभूमि को व्यपवर्तन हेतु दी जा सकती है।

(श्री जाधव श्रीकृष्ण ए.एन.एस.)

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर